

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक-1466/एटा/13615/यूपी-099/2015, दिनांक, लखनऊ, जनवरी 14, 2016

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय : एटा में टुण्डला-एटा मार्ग (एस0एच0-31) के किमी0 26.088 की बायीं पटरी पर ग्राम-बाबरपुर के खसरा सं0-988 में विकसित किये जा रहे एस्सार ऑयल लि0 के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.092976 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भ : शासन का पत्रांक-पी-77/14-2-2015-800(130)/2015, दिनांक 03.12.15

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसके द्वारा कतिपय सूचना/आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई थी। उक्त आख्या सम्बन्धित कार्यालय से अपेक्षित थी।

वन संरक्षक, अलीगढ़ के पत्रांक-1939/14-1, दि0 05.01.16 द्वारा आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गई है, जिसकी एक प्रति एतत्सह संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि प्रकरण में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(डा0 राजीव कुमार गर्ग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- / , उक्त दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा।

(डा0 राजीव कुमार गर्ग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।